INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 8.428 (SJIF 2026)

राजनीतिक विकास के अंतर्गत पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

(The Role of Women in Panchayati Raj with in Political Development)

कविता चौधरी
शोधार्थिनी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
किशोरी रमण पी.जी. कॉलेज मथुरा यू.पी.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा।
E-mail: kavitacho2014@gmail.com

प्रोफेसर (डॉ) प्रमोद पाल सिंह
शोध निर्देशक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
किशोरी रमण पी.जी. कॉलेज मथुरा यू.पी.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा।

DOI No. 03.2021-11278686 DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/08.2026-22142681/IRJHIS2608009

सारांश :

राजनीतिक विकास किसी भी समाज की प्रगति और स्थिरता के लिए एक अहम् केंद्रिय भूमिका निभाता हैं क्योंकि वह समाज की राजनीतिक सोच, संस्कृति, शासन प्रणाली और नागरिकों की भागीदारी को प्रभावित करता हैं। भारतीय समाज में राजनीतिक विकास ने लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास को आकार दिया है। पंचायती राज भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव है, जो स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने का कार्य करता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी न केवल लोकतांत्रिक आदर्शों को सशक्त करती है बल्कि समाज में राजनीतिक विकास के अंतर्गत लैंगिक समानता, शिक्षा, सामाजिक न्याय और समावेशिता जैसी अवधारणाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को पंचायती राज प्रणाली में अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। जो कि समाज में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करती है। भारत में राजनीतिक विकास के आधार पर महिलाऐं समाज व परिवार, समुदाय और सामाजिक संरचनाओं में नैतिकता, परंपरा और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी इन मूल्यों को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ जोड़ती है, मूल्यों के साथ मेल खाती हुई यह भागीदारी न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है बल्कि संपूर्ण ग्रामीण समाज के विकास में भी सहायक होती हैं और राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक विकास केवल संस्थागत बदलावों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है।

कीवर्ड : *महिला सशक्तीकरण, राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्य, पंचायती राज, महिलाओं की भूमिका।*

प्रस्तावना :

समाज में प्रचलित विभिन्न मान्यताओं, मूल्य, लोकतांत्रिक विश्वास व प्रचलित व्यवहार आदि तत्वों को संयुक्त रूप में लोकतांत्रिक मूल्य कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होकर विकास क्रम में (सिंह.पाल,सुरेंद्र,2020:73) योगदान देते हैं। आजादी के बाद परंपरागत समाज एक नवीन समाज की कल्पना में परिलक्षित हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था की जड़े भारतीय इतिहास और संस्कृति में पूर्ण रूप से पाई जाती है, वर्तमान में ग्राम पंचायत की संख्या 2,55,397 है। भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में

सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 31.5लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 2. 6 लाख पंचायत के लोगों की भूमिका है (panchayat.gov.in2024-25) जिसमें 40 प्रतिशत के लगभग महिलाएं भी है। **राजनीति विकास** का तात्पर्य सार्वजनिक जीवन के विकास से हैं जोकि समुदाय और वैयक्तिक से संबन्धित क्षेत्र के नियमों को सुव्यवस्थित व प्रतिपादित कर दवाव भी डालने का कार्य करता है जिसके अन्तर्गत अधिक संख्या में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को बढाना है।

राजनीतिक विकास के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका :

1. लोकतांत्रिक आदर्श स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भागीदारी जैसे मूल्य लोकतांत्रिक शासन के विकास को बढ़ावा देने में सबसे अग्रणी हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता की भागीदारी के साथ–साथ जनता की जागरूकता भी अति आवश्यक है भारत सरकार द्वारा जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नीतियां अपनायी गयी है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होना (सिंह प्रसाद अभय,2022) यह सभी मूल्य पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण, महिलाओं की भागीदारी के लिए अति आवश्यक हैं।

2. सामाजिक संरचना भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना, जो सामूहिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, भारत सरकार द्वारा (नीरा2022:132) संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर एक समिति का गठन किया गया जिसका शीर्षक **'समानता की ओर'** पर रिपोर्ट 1975 में संसद में प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य महिलाओं की परिस्थिति का परीक्षण करना था। जिसमें महिलाओं की स्थिति की संदर्भ में यह रिपोर्ट न केवल आंखों को खोलने वाली बल्कि दो दशकों के महिला **"मौन"** के पश्चात केंद्र में स्थिति को रखते हुए महिला स्थिति से संबंधित लापरवाही के भाव को चुनौती मिली, जिसमें प्रतिकूल लिंग से यह स्पष्ट हुआ कि लड़कों की अपेक्षा में कुछ ही लड़कियां जन्म के समय जीवित रह पाती हैं। यहां तक की रिपोर्ट में घातक क्षेत्रीय विषमताओं पर भी प्रकाश डाला गया।

3.संस्थानों में विश्वास न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, पंचायती राज संस्था में विश्वास बनाए रखना सुशासन (Good Governance) के लिए आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों से 1960 के बाद देखा गया है (अभय,कृष्ण2018) कि विकास प्रशासन की अवधारणा के संदर्भ में जन सहभागिता शब्द एक सर्वव्यापी रूप में उभर कर सामने आया है सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं नीतियों तथा निर्णयों की सफलता के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

4. सामाजिक एकता विविध संस्कृतियों और परंपराओं के बीच सामंजस्य राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रगति और स्थिरता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण होता है। (PESA Act **1996) पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूलड एरियाज एक्ट 1996**, अनुच्छेद 243 (ड), 244 के खंड (1) भाग 9 में धारा 4 की अंतर्गत आदिवासियों के सामाजिक – संस्कृतिक पहचान के संकट की चुनौतियों का सामना करते हुए (panchayat.gov.in2024-25) सामाजिक – आर्थिक परिवेश को छोड़े बिना इनको विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए सन् 1994 में सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर 24 दिसंबर 1996 से लागू कर दिया गया, जिसमें ग्राम सभा द्वारा अपनी परंपराओं, मूल्यों, सांस्कृतिक संदर्भ में व्यवहारों और मानदंडों एवं सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से झगड़े सुलझाने के लिए परंपरागत पद्धति को अपनाया जाएगा (अभय,कृष्ण2018:122,123)।

5. नागरिक कर्तव्य और अधिकार मतदान, कानून का पालन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहिष्णुता जैसे मूल्य राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भागीदारी में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो महिलाओं के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जैसे की मातृत्व के साथ बच्चों की देखभाल इत्यादि, राजनीति में पुरुषों के समान महिला भागीदारी हो भी जाए तब भी महिलाओं का राजनीतिक शक्ति में बराबरी का हिस्सा नहीं है।(नीरा2022:82) महिलाओं की राजनीति चेतना न्याय संगत एवं लैंगिक समान व्यवस्था पर आधारित आसमान शक्ति संरचना का परिवर्तन करना है न कि सिर्फ प्रतिनिधियों का मनोनयन तथा सरकार बनाने की गतिविधि में शामिल होने तक है। इसी आधार पर बौद्धिक महिला वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अन्याय एवं भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने को सचेत भी हुआ है।

साहित्य समीक्षा :

महिपाल. (2019) "पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं" इस पुस्तक में पंच–परमेश्वर अवधारणा के आधार पर स्थानीय स्वशासन की इकाई पंचायतों को माना, विभिन्न समितियों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का गठन, ब्रिटिश शासन काल से लेकर अब तक की पंचायतों का विवरण, राज्यों के पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम की समीक्षा तथा अनेक कार्यात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक चुनौतियों का अध्ययन एवं कैसे ग्रामीण विकास संभव हो पाएगा।

बाबेल, डॉ0. बसंतीलाल (2019) "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं राजस्थान के विशेष संदर्भ में" यह राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख तथा पंचायती राज के नियम, ग्रामीण विकास (प्रारंभिक एवं नवीनतम) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वर्तमान ग्रामीण विकास योजनाएं, रा.ग्रा.रोजगार गारंटी योजना नरेगा, फ्लैगशिप, वसुंधरा सरकार की अंतिम चरण की योजनाएं, गहलोत सरकार की अभिनव योजना जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था वृद्धजन पेंशन, 2019 कृषक ऋण माफी योजना आदि।

देसाई नीरा अनुवादित पुस्तक डॉ. सुभी धुसिया (2022) ''भारतीय समाज में महिलाएं'' इस पुस्तक में नारी के बदलते स्वरूप के अंतर्गत लैंगिक समानता, औरतों के दृष्टिकोण एवं नारी संघर्षरत की स्थिति, नारी आंदोलन की प्रकृति, नारी अध्ययन से जुड़े सक्रिय कार्य कर्ताओं और विद्वानों का उल्लेख तथा नारी जीवन को प्रभावित करने वाली कारकों को गंभीरता से लेने की बात कही है जहॉ बाजार की नई शक्तियों ने तकनीकी और प्रबंधन पर जोर, महिला मुद्दों समेत राष्ट्रीय विकास के प्रतिमान तय किये, वही स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सेवा के पीछे हटने के कारण कैसे इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वंचित वर्गों के कष्टो का और भी इजाफा हुआ का वर्णन किया गया है।

शर्मा. एन.एल, एवं कृष्ण मुरारी(2023) 'राजनीतिक समाजशास्त्र' इस पुस्तक में नवीन सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नारीवाद का विवरण, महिलाओं को ज्ञान, सचेतनशीलता, आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान, सामाजिक न्याय, उद्यम के अवसर, गरीबी से मुक्ति और सामाजिक–आर्थिक–वित्तीय संस्थानों से अनुदान उपलब्ध कराएं जाएं तथा महिलाओं में आधुनिकरण, राजनीति विकास, राजनीतिक संस्कृति, अंतर्संबन्ध में लूसियन पाई द्वारा **राजनीतिक विकास** के तीन विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है।

चन्देल, डॉ0 धर्मवीर एवं डॉ0 नरेन्द्र कुमार चन्देल, (2016) ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता'' पुस्तक

में पंचायतीराज के ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक का विवरण, आरक्षित न होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रह रहा हैं, वंशानुगत आधार पर चुनाव लड़े जाने से प्रमुख जातियों का अधिपत्य, जिससे महिलाओं की स्थिति नाममात्र की रह गई थी। 73वें व 74 वें संविधान संशोधन से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया हैं, पुस्तक के विभिन्न आलेखों मे पंचायतीराज व्यवस्था का खाका खींचा गया है, कि व्यवस्था लागू होने से किस तरह का कितना परिवर्तन आया, ग्राम सभा की स्थापना आदि बताया गया है। **खान फखरुद्दीन (2016)** ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता : भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक समीक्षात्मक अध्ययन" पुस्तक में विभिन्न समितियों लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्वायत्ता योजना की सिफारिश की, त्रिस्तरीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना, अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में, जी वी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश आदि।

अनीता, डॉ0 (2014) ''पंचायतीराज व्यवस्था एवं महिलाओं की सहभागिता'' पुस्तक में मथुरा जनपद में महिलाओं की सहभागिता, संपन्न हुए पंचायती राज के चुनाव 1995, 2000, 2005 का सूक्ष्म अवलोकन, महिलाओं प्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने व उत्तर प्रदेश में पूर्व से विद्यमान त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था तथा स्वासत्तशासी संस्थाओं में महिला आरक्षण विधेयक की बात आदि का उल्लेख किया गया है।

मिश्रा.एस,के,डॉ0 (2009) "पंचायती राज समग्र अध्ययन" इस पुस्तक में आदर्श लोकतंत्र की भूमिका पंचायती राज्य की समृद्धि का स्वप्न, समग्र विकास के बहुआयामी पक्ष में स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण अवधारणा के अंतर्गत विकास योजना, समुदाय आधारित समूह का विस्तृत वर्णन, उद्देश्य कार्य योजना पंचायत के जरिए ग्रामीण जीवन में बदलाव एवं महिलाएं जनसंचार सूचना का अधिकार, चुनौतियों का मुकाबला करने की राह पर वित्तीय अधिकारों की आवश्यकता हेतु आर्थिक प्रोत्साहन तथा व्यापक सुधार की सिफारिश एवं पंचायती राज और वैश्विक आकर्षण आदि के साथ ग्रामीण विकास की दशा दिशा के दृष्टिगत सुधार एवं तृणमूल नियोजन और पंचायत में नवाचार आदि का उल्लेख किया गया है।

PRI प्रिया (अगस्त 2005) ''ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां एवं प्रधान,पांच के कार्य''pdf पुस्तक में देश के 14 राज्यो में प्रिया और सहयोगी संस्थाए कार्यरत रूप से स्थानीय संस्थाओ और सदस्यों को सशक्त करने तथा उनसे संवादो के दौरान मांगो के रूप मे एक स्थान पर सूचनाओ की उपलब्धता, कार्य व्यवस्था संबंधी सूचना के संकलन की मांग व नियमों और अधिनियमों का सरल भाषा में लिखित रूप ताकि कम शिक्षित नागरिक भी इसे उपयोग कर सके आदि सभी का उल्लेख किया गया है।

शोध पत्र की विधि : स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया गया हैं।

जनतान्त्रिक मूल्य : पंचायती राज एवं महिलाएं

पंचायती राज के इतिहास के बारे में बात करें तो यह लगभग चार हजार वर्ष पुराना रहा है इसका ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित क्षेत्रों पर नियंत्रण और स्वामित्व रहा है। लघु गणराज्य के रूप में जनता को एक साथ बांधकर रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह वेदकालीन व्यवस्था के रूप में प्राचीन काल से चली आ रही एक समृद्ध ग्राम धारित, कृषि प्रधान समाज का सुन्दर रूप प्रस्तुत करती हैं, यहाँ तक कि पाश्चात्य विद्वानों ने (चंदेल

धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016) **सिन्धु सभ्यता** को नगर प्रधान सभ्यता सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था में राजतंत्र और जनतंत्र के मूल्यों में समन्वय पाया जाता था। उसी प्रकार से संघीय शासन और स्वायत्त विकेंद्रिकृत शासन का समन्वय उस समय की सामाजिक व्यवस्था से मिलता है। अथर्ववेद यह स्पष्ट है कि प्रजा राजा का चुनाव करेगी, श्लोक – त्वां विशो वृणतां राज्याय

त्वामियाः प्रदिशः पंच देवीः।

वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व

ततो न उग्रो विभजा वसूनि। (अथर्ववेद 3 / 4 / 2)

भावार्थ : समस्त प्रजा स्वयं राजा को चुने यहां पर पांचों की समितियां (विद्वानों की पांच समितियां) राजा का निर्वाचन करें, प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र के तुम शरीर बनकर राष्ट्र के मुख्य प्रदेश अर्थात राजधानी में रहो। राज दंड से युक्त न्यायाधीश के रूप में प्रजा में धन का सम्यक् विभाजन करो। प्राचीन प्रशासनिक मूल्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता कि किसी को भी पूर्ण एवं निरंकुश सत्ता न दी जाए ताकि उनके द्वारा इसका दुरुपयोग न हो यह दृष्टि राज्य प्रशासन के साथ–साथ ग्राम शासन की भी थी।

वैदिक काल में छोटे–छोटे राज्य होने की वजह समुदाय की महत्ता में वृद्धि का होना स्वाभाविक था। वैदिक काल में **लोपामुद्रा, शुची, घोषा, अपाला आदि विदूषि महिलाओं** की समाजिक स्थिति उच्च श्रेणी की थी। शैक्षणिक स्थिति अच्छी होने के साथी ही उन्हें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। इसके साथ ही वह सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। **राधाकुमुद मुखर्जी** का मानना है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, जिसमें कि जनसाधारण की सामूहिक रूप से स्वशासन के प्रति पूर्ण आस्था थी। (चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016) **उत्तर वैदिक काल** में महिलाओं की स्थिति में वैदिक काल की तुलना में गिरावट आयी। जिसमें उपनयन संस्कार का बंद होना और सभा समिति में प्रवेश का बंद इसके साथ महिलाओं पर अनेक प्रकार का प्रतिबंध भी लगा दिए गए। फिर भी इस काल में कुछ विदुषि महिलाएं जैसे **गार्गी, मैत्रयी** की स्थिति अच्छी थी। **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** में ग्राम प्रमुख के कार्यों की बात करें तो कार्यों के साथ अधिकारों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। ग्राम में दंड, न्याय व कृषि संबंधी कार्य के आधार पर ग्राम की सभा के सहयोग की बात कही गई है। जिसमें ग्राम प्रमुख एक वंशानुगत पद था। (चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016) **बौद्धकालीन काल** में तत्कालीन प्रशासनिक स्थिति का पाया जाना एवं **साहित्य जातक ग्रंथ** में राज व्यवस्था ग्राम नियम श्रेणी के रूप में बटी हुई निगम शासन सबसे छोटी इकाई थी।

बौद्धकाल में महिलाओं ने अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के आधार पर धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश में भ्रमण किया। जिसमें **अशोक की पुत्री संघमित्रा** का श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करना तथा सुगीता, सुमेधा एवं अनुपमा का बौद्ध धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका का होना। (चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016)

मध्यकालीन समय में आठवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी में घोर तानाशाही और निरंकुशवादी सरकारों का होना जिसमें कई सुल्तान, बादशाह, राजवंश समय के साथ आए और चले गए। जिसमें पर्दा प्रथा का चलन, शासन व्यवस्था में उत्तल–पुथल, कई अर्थों में अराजकता के साथ महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आयी। गिरावट आने के बावजूद भी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, आदम्य सहास की गाथाएं, राजधर्म को

निभाती हुई अपने संस्कृति मूल्य की गाथा को स्पष्ट करती है जबकि उस समय महिलाओं को पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था तब भी विभिन्न विदुषि महिलाएं जैसे **श्रद्धा, विशाखा, खेमा, विद्याहारी** ने अपने ज्ञान से एक अलग पहचान बनायी इसके अलावा **रानी पदमनी, मीराबाई, पन्नाधाय, हंडवंश की राजकुमारी सरोज कंबर** (चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016:71) जिन्होंने युद्ध के लिए अपना सिर काटकर राजा रतन सिंह को दे दिया था, कि वह अपने लक्ष्य से न भटके इत्यादि वीरांगनाओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास के सुनहरे पन्नों पर पायी जाती है। मुस्लिम महिलाओं में **बेगम गुलबदन, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल, जेबनिशा, जहां आरा बेगम** आदि जिन्होंने राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है।

ब्रिटिश काल में : मुगलकाल के समय से पंचायती राज संस्थाओं में गिरावट आने लगी। हालांकि उन्होंने ग्रामीण पंचायतों के पुराने रीति–रिवाजों में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु ब्रिटिश राज ने अपने हितों की पूर्ति हेतु व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के साथ ग्रामीण भारत में कार्यरत संस्थाओं को विधिवत समाप्त करने का प्रयत्न किया। (शर्मा.विद्यासागर,1962:20) यहां तक कि उन्होंने इन संस्थाओं को संकीर्ण, प्राणहीन व पक्षपात पूर्ण भी माना। अंग्रेज लेखकों की दृष्टि में यह न लोकतांत्रिक संस्थाएं थी बल्कि इनका क्षरण भी ब्रिटिश आगमन से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था और महिलाओं की भागीदारी भी नहीं रही।

क. इसी के साथ ग्रामीण गणतंत्रों और पंचायतों की स्वायत्ता भी समाप्ति सी हो चुकी थी। क्योंकि पंचायत के निर्णय पक्षपात पूर्ण होते थे। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी क्योंकि ब्रिटिश राज ने ही स्थानीय संस्थाओं को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया था।

ख. 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय क्षेत्र में स्वायत्तता पर जोर दिया और प्रान्तीय वित्त के संबंध में प्रस्ताव रखा। लॉर्ड रिपन आधुनिक भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के जनक हैं। 1882 में स्थानीय प्रशासन का प्रस्ताव लाए, जिसमें पंचायती राज को पुनर्जीवित करने की पहल हुई इसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

ग. चार्ल्स् मेटकाफ द्वारा भारतीय ग्राम समुदाय को **"छोटा गणराज्य"** के रूप में परिभाषित किया गया है। (panchayat.gov.in2024-25) गांवों से जनसहयोग प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ करने को हॉबहाउस आयोग ने 1909 में अपना प्रतिवेदन दिया।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रादेशिक स्वायत्तता से पंचायतों के क्रम विकास का महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ हुआ।

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था की बदलती हुई तस्वीर व महिलाओं की स्थिति :

गांधी जी का चिंतन राजनीतिक और सत्ता का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। **गांधी जी** ने यहां तक कहां कि पंचायती राज के विना संविधान बिल्कुल व्यर्थ है। (महिपाल,2019) बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजना के लिए समिति का गठन किया गया जिसमें महिलाओं की भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए पंचायत को तीनों स्तर पर दो महिला सदस्यों के लिए मनोनीत करने का सुझाव दिया।

उत्तर प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य था जिसमें मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश को माना। लेकिन विभिन्न राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के सहयोजन की सिफारिश नहीं मानी। यहां तक की पंचायतों में सदस्यों के रूप में सहयोजित महिलाएं भी ग्रामीण अभिजात्य वर्ग से थी। न कि

अनुसूचित जाति की महिलाएं। (चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल,2016) अधिक समय तक इन महिलाओं की भागीदारी कायम नहीं रही क्योंकि शुरुआती दिनों में अनेक राज्यों में शक्ति व अधिकार के नाम पर उन्हें अंगूठा दिखा दिया गया और पंचायतों के चुनाव भी नहीं हो पाए जिससे पंचायत मृत अवस्था में जाने लगी और महिलाओं की भागीदारी भी नहीं रही।

अन्य प्रयास 1986 में डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। **सर्वप्रथम कर्नाटक व केरल में क्रमशः** 1987 व 1990 में महिलाओं के लिए 25 व 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया। जो कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुआ। पंचायती राज भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद, महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत (अब कई राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण मिला, (महिपाल,2019) जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करती है, जिससे वे न केवल अपने समुदायों के विकास में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं। राजनीतिक चेतना के बढ़ने से वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के लिए पहल :

स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व, 19–20 नवंबर 2024 को पंचायत राज मंत्रालय की समीक्षा पर बैंकॉक में एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय बीजिंग 30+ सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया विशेष बात यह है कि सम्मेलन में मंत्रालय के अधिकारी के साथ **महिला निर्वाचित प्रतिनिधि** (गुजरात की तालुका पंचायत से) ने भी भाग लिया जोकि महिला नेतृत्व क्षमता को स्पष्ट करती है (पंचायती राज मंत्रालय रिपोर्ट,2024–25:35) पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी राजनीतिक जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है।

पंचायती राज मंत्रालय का विजन 2024–25 का आधार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण शासन प्राप्त करना है, जिसमें सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सेवाओं की कुशल प्रदायगी सुनिश्चित कर पंचायती संस्थाओं को सशक्त कर उन्हें सक्षमतापूर्ण और जबावदेही बनाना है। (panchayat.gov.in2024-25)**'पंचायत' शीर्षक**' को हमारे संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है जोकि त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत एससी, एसटी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, नियमित रूप से चुनाव, शक्तियां व जिम्मेदारी प्रदान करता हैं।

निष्कर्ष :

स्थानीय शासन में सुधार हेतु सुझाव, भारत के संविधान में अनुच्छेद 14,16,39 जो कि महिलाओं के पक्ष में हैं। राजनीतिक विकास के अंतर्गत राजनीतिक आदर्शों, मान्यताओं और परंपराओं को शामिल किया जाता हैं जो कि समाज की राजनीतिक व्यवस्था और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यह मूल्य राजनीतिक सोच, भागीदारी, शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विकास समाज के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आधुनिक शासन प्रणालियों के साथ संतुलित होते हैं, तो राजनीतिक विकास अधिक स्थायी और समावेशी बनता है। परंपरागत नेतृत्व कुछ क्षेत्रों

में जाति, धर्म और सामाजिक वर्गों के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व को निर्धारित किया जाता है। सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखती है। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और समाज–सेवा को उच्च स्थान दिया गया है, जो सशक्त नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। पंचायतों में आरक्षण ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और पारिवारिक व सामाजिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत किया। संकीर्ण मानसिकता व परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बदलाव आया और महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिलने लगे। सामाजिक परिवर्तन ने महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। समय के साथ सामाजिक और तकनीकी बदलावों को स्वीकार करना राजनीतिक विकास को सुदृढ़ करता है। महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ने से वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो रही हैं। सशक्तिकरण से उन्हें अपने हकों के लिए संघर्ष करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है।

संदर्भ सूची :

1. सिंह. पाल, सुरेंद्र (2020) शोध पत्र ''भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एवं ग्रामीण विकास : 21वीं सदी और साहित्य विमर्श'' जे.टी.एस. पब्लिकेशन अमरोहाः दिल्ली पृष्ठ संख्या 73.

2- https://panchayat.gov.in वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 pdf accesed on 05/03/2025

3. सिंह प्रसाद अभय कृष्ण मुरारी (2022) "भारत में राजनीतिक प्रक्रिया" हैदराबादः ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड पृ.पृ. 137–190

4. देसाई नीरा, ठक्कर ऊषा अनुवादित घिसिया डा. सुभी, (2022) ''भारतीय समाज में महिलाएं'' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, न्यू दिल्लीः भारत पृष्ठ संख्या 82, 132,133.

5. सिंह प्रसाद अभय कृष्ण मुरारी (2018) "शासनः मुद्दे और चुनौतियां" हैदराबादः ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड पृ.सं.146

6. https://panchayat.gov.in वार्षिक रिपोर्ट 2024 –25 पेसा एक्ट 1996 ''पांचवी अनुसूची क्षेत्र में शासन'' अध्याय 12, वार्षिक रिपोर्ट 2024 –25 पृष्ठ संख्या 101 accesed on 05/03/2025

7. चंदेल धर्मवीर एवं नरेंद्र कुमार चंदेल (2016) "पंचायती राज एवं महिला भागीदारी" जयपुरः आविष्कार प्रकाशक डि. पृष्ठ संख्या (लो.कु. चंदेल) 63–75.

8. शर्मा.विद्यासागर,(1962) ''पंचायती राज'' विद्या मंदिर बुक सेल्स एंड पब्लिशर्स होशियारपुरा, पृ. सं. 20

9. https://panchayat.gov.in वार्षिक रिपोर्ट 2024 –25 पंचायती राज का संक्षिप्त इतिहास अध्याय 3, पृ. सं०17 accesed on 05/03/2025

10. महिपाल, (2019) "पंचायत में महिलाओं की चुनौतियां और संभावनाएं" नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया पृष्ठ. संख्या.19

11.https://www.pria.org/knowledge_resource/Gram_Panchayat_Ki_Sathae_Samiti_Evanm _Pardhan_Panch_Kay_Kary.pdf ग्राम पंचायत की स्थाई समितियां एवं accesed on 19/03/2025